

फर्द अहकाम

अतिरिक्त कलक्टर बनाम सुन्दरी

अतिरिक्त कलक्टर
न्यायालय
(तृतीय) जयपुर

अपमानना प्रा.पत्र

संख्या 61/2018

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	8-12-22	<p>प्रश्नकर्त्री कोषा द्वारा पत्रकारिता में से कोई उपस्थित नहीं। प्राची/आधिकारिक प्राची को कर मंजूर किया दिनांक 13-12-21 से लगाया जायता है। इस निदेश के बावजूद नोटिस देय नहीं किए जा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राची/इसके अधिकार न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया को बाध नहीं कराना चाहते। अतः प्राची/प्रधान पत्रकारों सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 व आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत नोटिस संपन्न पर देय नहीं करते एवं अनुपायित रहने के कारण कार्यवाही स्थगित अता है। प्रश्नकर्त्री को द्वारा दायित्व से कम होकर दायित्व कम है।</p>

३२
अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर